(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 178 **नई दिल्ली 30 अक्तुबर 2008**

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार हल्दिया और कोलकात्ता स्थित कोलकाता पत्तन न्यास की भूमि और भवनों की किराया अनुसूची हेतु कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि को आगे बढ़ाता है और हल्दिया स्थित केओपीटी की भूमि और भवनों की मौजूदा किराया अनुसूची की वैधता को विस्तार प्रदान करता है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी /56/2005- केओपीटी

कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) आवेदक

आदेश

(सितंबर 2008 के 30 वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने दिनांक 14 जुलाई, 2008 को हल्दिया स्थित केओपीटी की भूमि तथा भवनों की वर्तमान किराया अनुसूची की वैधता को 31 अगस्त, 2008 तक अथवा कोलकाता और हल्दिया स्थित केओपीटी की भूमि और भवनों की किराया अनुसूची के संशोधन हेतु केओपीटी द्वारा दाखिल किये जाने वाले प्रस्ताव पर इस प्राधिकरण द्वारा पारित किये जाने वाले आदेश की अधिसूचना की प्रभावी तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो बढ़ाते हुए, एक आदेश पारित किया था और केओपीटी को यह निदेश दिया था कि वह अपना संशोधित प्रस्ताव शीघ्रताशीघ्र तक प्रस्तुत करें। यह आदेश दिनांक 16 अगस्त 2008 को भारत का राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

2. केआपीटी ने दिनांक 25 अगस्त, 2008 के अपने पत्र द्वारा इस प्राधिकरण से यह अनुरोध किया है कि कोलकाता और हल्दिया स्थित भूमि और भवनों की किराया अनुसूची के संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि को 30 नवम्बर, 2008 तक बढ़ा दिया जाए और हल्दिया स्थित भूमि और भवनों की वर्तमान किराया अनुसूची की वैधता को, 31 जनवरी, 2009 तक की अवधि के लिए, बढ़ा दिया जाए।

3.1. केओपीटी ने यह सूचित किया है कि वह मेसर्स प्राइस वाटरहाऊस एण्ड कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीडब्ल्यूसी) द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया में है । अत:, कोलकाता और हल्दिया स्थित भूमि और भवनों की किराया अनुसूची के संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए, केओपीटी को और अधिक समय लगेगा।

3.2. यह प्राधिकरण कोलकोता और हल्दिया स्थित भूमि और भवनों की किराया अनूसूची के संशोधन के लिए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की समय सीमा को बढ़ाने हेतु तथा जैसाकि केओपीटी द्वारा प्रस्तावित किया गया है, हल्दिया में केओपीटी की भूमि और भवनों की वर्तमान किराया अनुसूची की वैधता को आगे बढ़ाने के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए प्रवृत्त है।

4. हल्दिया स्थित कोलकाता की भूमि और भवनों की वर्तमान किराया अनुसूची की वैधता को 31 अगस्त, 2008 से विस्तार प्रदान किया जाता है और यह दिनांक 31 जनवरी, 2009 तक अथवा हल्दिया स्थित अपनी भूमि और भवनों की किराया अनुसूची के संशोधन के लिए केओपीटी द्वारा दाखिल किये जाने वाले प्रस्ताव पर इस प्राधिकरण द्वारा पारित किये जाने वाले आदेश की अधिसूचना की प्रभावी तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, वैध रहेगी। केओपीटी को यह निदेश दिया जाता है कि वह कोलकाता स्थित केओपीटी की भूमि और भवनों की किराया अनुसूची के लिए एक प्रस्ताव और हल्दिया स्थित केओपीटी की भूमि और भवनों की किराया अनुसूची के संशोधन के लिए एक संशोधित प्रस्ताव सकारात्मक रूप से 30 नवम्बर 2008 तक दाखिल करें।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष